तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख हुक्म का आगे में जारी हुआ।
06-11-17	वसूलाए उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 अपील अधि० पेश किया, जिस की नकल अधिवक्ता श्री धारू को दिलाई गई, सुनवाई अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 ने उपस्थित मय प्रार्थना पत्र पेश किए, अग्रिम निर्णय किया जावे। पत्रावली आगामी दिनांक 08-11-2017 को पेश हो। SDO, Sojat.	
08-11-2017	वसूलाए उपस्थित। अधिवक्ता श्री धारू ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अपील अधि० में संशोधन करने बाबत पेश किया, जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई, सा० निर्णय किया गया। पत्रावली बाबत जवाब दरख्वास्त एवं बहस दरख्वास्त आगामी दिनांक 15-11-2017 को पेश हो। SDO, Sojat.	
15-11-2017	वसूलाए उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 ने जवाब दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 5 अपील अधि० में संशोधन करने बाबत पेश किया, सा० निर्णय। बहस दरख्वास्त दि० 08-11-17 बाबत संशोधन वसूलाए सुनी गई। वास्तुतः प्रार्थना पत्र देरी माफ किया जाता है। वास्तुतः वादी पार्थ द्वारा ने देरी माफ किया जाता है। वास्तुतः वादी पार्थ के पक्ष में अपील का पति का वास्तविक नाम मांगीलाल है न कि रावणाराम, जिसका प्रार्थना पत्र देरी माफ पार्थ पार्थ नाम का अभ्यु० स्वीकृत भाग त्रुटि से रावणाराम लिखा गया था। मानाजाने। स्थान पर वास्तविक नाम मांगीलाल पढ़ा। पत्रावली बाबत बहस दरख्वास्त अन्तर्गत 5 धारा अपील अधि० एवं बहस अपील आगामी दिनांक 04-12-17 को पेश हो। SDO, Sojat.	
04-12-17	वसूलाए उपस्थित। बहस दरख्वास्त धारा 5 अपील अधि० एवं बहस अपील सुनी गई। पत्रावली बाबत आदेश आगामी दिनांक 18-12-2017 को पेश हो। SDO, Sojat.	
18-12-2017	वसूलाए उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 अपील अधि० तथा बहस अपील वसूलाए सुनी गई। प्रस्तुत अपील, प्रार्थना पत्र धारा 5 अपील अधि०, मय शपथ-पत्र, दिनांक 15-11-2017 पर जवाब अपील दे० सं० 2223, जवाब लगातार—	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 अपील अधिनियम, संशोधन बाबत प्रार्थना, जवाब प्रार्थना एवं समस्त दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील अपील पर गौर कर मनन किया गया व न्यायिक पूर्वान्तों पर भी गौर कर मनन किया। वस्तुतः अपीलान्ट रामोदर सं० 1/3 की माता एवं मांगीलाल की पत्नि है, जिसने अपने पति मांगी लाल की खा० नं० 267 व 647 की कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि में अपना नाम अंकित करवाने की अपील करिणी है, प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 मौजा छितारपुर खा० नं० 596 व 597 का राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। अपीलकर्ता मय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अपील अधिनियम प्रार्थना स्वीकार योग्य (युक्तियुक्त कारणों से युक्त) होने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व अपील पेश करने की अवधि किया जाती है। राजस्व अपील धारा 75 LRAct स्वीकार की जाती है। बिना वैधानिक जाँच तथा वास्तविक तथ्यों की जानकारी सिर बिना सरपंच ग्रा०पं० को पक्ष बना स्वीकृत जाँच व 62 व्यक्तियों को खारिज होने खारिज किया जाता है। तहसीलदार, साजत को उक्त निर्देश का साथ पुनः प्रतिवादित किया जाता है कि अपीलान्ट के पति एवं रामोदर सं० 1/3 के पिता मांगी लाल के विभिन्न वारिसानों की जाँच कर पुनः नये सिरे से समस्त विभिन्न वारिसानों के नाम नामान्तरण पारित करें। विस्तृत निर्णय पूर्वक से शिरवाया/तैयार किया जावार सक्षम अधिकारी तहसीलदार, साजत को निर्णय की प्रति किया गया। पालना अंशवार जावें। पत्रावली अभिलेख अभिलेखागार पालना अंशवार जावें। पत्रावली अभिलेख शुमार होकर नजर सबब हो बाद तामील जाबता हासिल करने के बोरड मण्डल जमा हो।	तहसील 145 23.2.18

Sd/- Sojat.

Scanned by CamScanner